

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा०नि०वि० खण्ड चौमहला

क्रमांक 406

दिनांक 15.09.2025

श्रीमान् उपवन संरक्षक

झालावाड

विषय :- सम्पर्क सडक बानीखेडी प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ ROAD/7558/2014 के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ.()एफसीए/उवसं/2024/11224 दिनांक 14.08.2024 के क्रम सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान् शासन सचिव राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प1(50)वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्राप्त हुई थी।

1. आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा कुल देय राशि 2792412/- रुपये का संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था। जिसमें उक्त प्रकरण की राशि रु. 2792000/- एप्रोच रोड सांवल्दा में जमा राशि के बदले समायोजित कर लिए जाने हेतु लिखा गया था। व समायोजन से शेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रु. 412/- केम्पा अकाउंट में चालान द्वारा इस कार्यालय के बिल वाउचर सं० 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दी गयी थी। जिसकी पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 424 दिनांक 09.11.2023 को आपको प्रस्तुत कर दी गयी थी। जिसकी कार्यवाही में नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को म्यूटेशन डिटेल् सत्यापित हो गयी थी।
2. वन अधिकार प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड चौमहला
दिनांक : 15.09.2025

क्रमांक : 406

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटा को प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्ताव सं० FP/RJ/ ROAD/7558/2014 में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड चौमहला

Ice No: 48726180

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Dept Code : 65	Department Name : Public Works Department	Month/Year : Nov/2023
Bill No : X.En. FWD Div Chomelah(9980)		
Bill Payment : WAM Payment	Reference No : 3806039	OfficeID : 9980
Name : XEn FWD Chomelah	Division Code : 104	Wam Reference No : #1/1 of 834143
02/11/2023	Demand No : 51	Bill No : 48726180
JOHE00689D	Object Head : 74	DDO Code : 103022
465.00 NonPlan : 0.00	NA : 0.00	Budget Head : 5054-03-789-03-00/SFM
		Contingency Head :

Treasury/Sub Treasury Officer: GANGDHAR
The Order to pay ₹ 412 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Divisional Officer

I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of online allotted. I certify that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Digitally signed by CAJARIANO
MEENA
Date: 2023.11.02 11:21:24 +05:30
Reason: CAJARIANO MEENA
Digital ESign of DDO
9772250555

Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction A--
RAJASTHAN CAMPA BENGALURA 9772250555	UNION BANK OF INDIA 150856175580108 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	465.00 412.00	3806039	2059-20-201-04-01 33.00 2059-20-052-04-01 8.00 3054-03-337-01-02 12.00

Amount Rs. 465.00

B.T.Amount: Rs. 53.00

Net Amount: Rs. 412.00

Four Hundred Twelve Only

Sign Of DDO with:

Digitally signed by CAJARIANO
MEENA
Date: 2023.11.02 11:21:23 +05:30
Reason: CAJARIANO MEENA
Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Treasury Voucher

No: _____ Date: _____
Pay ₹ : 465.00
(In Words) : FOUR HUNDRED SIXTY FIVE ONLY
B.T. Heads : 53.00

Total : 53.00 Only
(In Cash) ₹ : 412.00
(In Words) : FOUR HUNDRED TWELVE ONLY

Supdt

Gaz. Officer

Auditor

AAO-I/II

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
National Informatics Centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name: 5054MDR SC

Forward Time:
Print Date & Time: 02/11/2023 11:19 AM

Government of Rajasthan

See Chap. XIV, paras 440, 446 and 460

Public Works Department Buildings & Road Branch

HAND RECEIPT

Cash Book Voucher No.

Rajasthan Campa

(1) Pay

Issued for Rs. 412/-

(B) Four hundred twelve only

(2) Paid by me P.D. +

अधिशायी अभियन्ता
सा नि. वि. खण्ड चौमहला
कोड नं 103022

Rs. 412/-

Received from XEN PWD Div. Chaumahla
(B) Four hundred twelve only
Name of Work X for which payment is made
A.R. to Bankheri F.P. RT. Road Chargeable to
of Pay bill 7552/2014 Voucher No.

-Witness

Signature

- The officer authorizing payment should initial and date the order after seeing the cheque or cash as the case may be (1)
- The person actually making the payment should initial and date payment certificate.
- In the case of works the accounts of which are dept. by sub-heads the amount of each sub-head should be specified by the disbursing officer.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jalpur

Form RPWA 28

No. & Date:

Ref No.: 68, Dated: 01/11/2023

Ref Name: X.En. PWD Div Chomeloh

PayManager Ref. Id(s): 3806039

Division Code: 9980

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 430)

Issued as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special form 24 and 26 are suitable)

Tender for widening and strengthening of Susner suwasra road (Upto MP border) Distt Jhalawar

Ref Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/Bill No: Dated: 31/10/2023

Ref No:

Account No. - 150856175580108

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Amount payable to the contractor or supplier In Figures: 412
Rupees Four Hundreds Twelve Only

Heads / Payment From:

S.No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-03-789-03-00-74-V-P	412	WorkId: 13065

Recoveries:

S.No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (First column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3806039	5054-03-789-03-00-74-V-P			412 WorkId: 13065
	Payment Through Treasury	412		
	5054-03-789-03-00-74-V-P		53	Prorata WorkId: 13065
	2059-80-001-04-01-98-V-P	33		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	8		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	12		Prorata

Amount Payable In Figures: 412

Amount Payable In Words: Rupees Four Hundreds Twelve Only

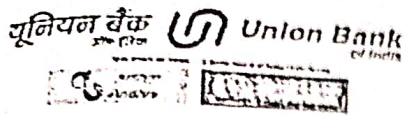
Certified that:

- The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
- The Payment of this bill is not drawn previously.
- Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
- Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
- All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
- No tools & Plants has been issued to the Contractor.
- Material has been used by Contractor as per Specifications.

Courtesy: <http://www.rajasthan.gov.in> 11/11/2023 5:15:14 PM

अधिशायी अभियन्ता

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-10-2023

Agency Name.	PWD
Application No.	6175580108
MoEF/SG File No.	1(50)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office PWD Division chaumahla tehsil gangdhar district Jhalawar rajasthan Jhalawar
Amount (in Rs)	412/-

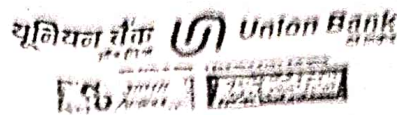
Amount in Words : Four Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856175580108 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-10-2023

Agency Name.	PWD
Application No.	6175580108
MoEF/SG File No.	1(50)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office PWD Division chaumahla tehsil gangdhar district Jhalawar rajasthan Jhalawar
Amount (in Rs)	412/-

Amount in Words : Four Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856175580108 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, opurso@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs. 412/-

(Rs four hundred twelve only)

अधिशायी अभियन्ता
सा नि. वि. खण्ड चौमहला
क्र. नं. 100000

This is to acknowledge that Mutation details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

1. Proposal No. : PP/RJ/ROAD/7558/2014
2. Proposal Name : Const of A/R to Bankheri
3. Category of the Proposal : Road
4. Date of Submission : 14/10/2014
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: anil kumar
Mobile No.	: 9950997560
State	: Rajasthan
District	: Jhalawar
Pincode	: 326515
6. <u>Area Applied (ha.)</u>	: 0.52

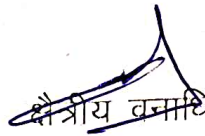
and is submitted for Compliance Details for further processing

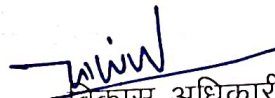


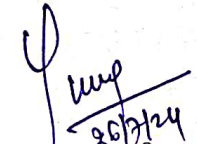
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड गंगधार जिला झालावाड (राज.)

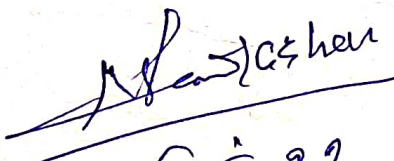
दिनांक २१/७/२४ को ग्राम स्तरीय वनाधिकारी समिति डोडी की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता अधिनियम २००६ की धारा) अधिनियत २००६ की धारा ३(१) व ३(२) के प्रावधानानुसार वनाधिकार को कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

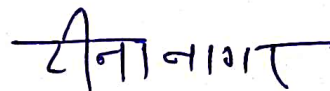
क्र.सं.	ग्राम	खसरा न०	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वंछित भूमि
१	बनीखेडी	३८३	डोडी	०.१२५ हैक्टर
२	बनीखेडी	३६४	डोडी	०.०३० हैक्टर
३	बनीखेडी	३६३	डोडी	०.०८५ हैक्टर
४	बनीखेडी	३८३	डोडी	०.२८० हैक्टर

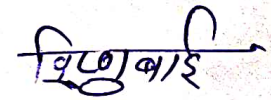

क्षेत्रीय वनाधिकारी
डग (झालावाड)


विकास अधिकारी
पंचायत समिति डग


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड गंगधार


वार्ड नं. २२
नन्द किशोर शर्मा


वार्ड नं. १३,
प० स० स० डग


पंचायत समिति सदस्य
वार्ड नं - १४
जग, जि. झालावाड (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत - डोडी

पंचायत समिति - डग, जिला - झालावाड़ (राज०)

प्रेषक -

प्रहाद सिंह

सरपंच

मो० - 9116584843

प्रेषिती-

खंड विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, डग

जिला - झालावाड़, राजस्थान

क्रमांक - 2024-25/

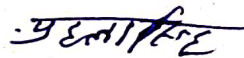
दिनांक - 22 जुलाई 2024

श्रीमान सहायक अभियंता
सा०नि०वि० उपखण्ड डग

विषय :- संपर्क सड़क डग सुसनेर सड़क से बानीखेड़ी सड़क के लिए FRA Certificate बाबत ।

प्रसंग :- कार्यालय सहायक अभियंता सा०नि०वि० उपखण्ड डग के पत्र क्रमांक- 133 दिनांक 18/07/2024 व कार्यालय पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ के पत्र क्रमांक/पंसड/निर्माण/2024-25/40-41 दिनांक 19/07/2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत डोडी में डग सुसनेर सड़क से बानीखेड़ी सड़क जिसका 0.52 हेक्टर भूमि हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो की ग्राम बानीखेड़ी का ग्राम पंचायत मुख्यालय आने जाने के लिए यही एक मात्र रास्ता है इसलिए ग्रामीणों व जन प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड डग को वन विभाग से समन्वय स्थापित कर अति आवश्यक कार्य हेतु कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।



सरपंच
ग्राम पंचायत डोडी
पं.स.डग (झालावाड़)



ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डोडी
पंचायत समिति डग(झालावाड़)

क्रमांक - 2024-25/

दिनांक - 22 जुलाई 2024

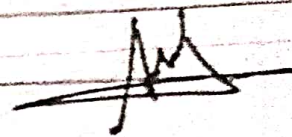
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति डग (सूचनाार्थ)
2. कार्यालय प्रतिलिपी।

सड़क बानीयेही के-आपसीकरण हेतु सम्पर्क सड़क में
आने वाली नुमी का प्रस्ताव आया है। जिसके माध्यम
वाशिपो द्वारा 50 वर्षों पूर्व से आम सार्वजनिक या उली
जगह पर आपसीकरण सड़क का निर्माण किया जाना
बनाया गया है परन्तु उक्त सार्वजनिक में आना बनाया
गया है। राप्तीलों की मांग के अनुसार उक्त
सार्वजनिक को आम सड़क में जोड़ा गया है। जिसके
आधार पर ग्राम सभा में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन
करते हुए सा. नि. वि. को वन विभाग के निर्माण
नुसार अनुमति लेकर कार्य करवाने हेतु समिति प्रदान
करने के निर्णय का अनुमोदन ग्राम सभा में सर्व
सम्मति से किया जाता है।

प्रस्तावित

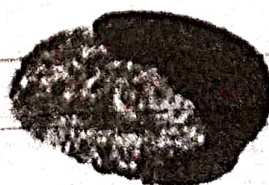
सरपंच
ग्राम पंचायत डोडी
पं.स.डग (आत्मवाड)



ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डोडी
प.स.-डग, जि.-आत्मवाड (राजग)

गौपीरहित तजुसिंग

सज्जनसिंह



मोहनलाल

रमेशचन्द्र

01. बैठक होने की तिथि - 22/07/2024
02. बैठक का स्थान - ग्राम पंचायत भवन डोही
03. बैठक की अध्यक्षता करने वाले का नाम व पदनाम - श्री प्रहलदसिंह - सरपंच
04. बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम, पद व हस्ताक्षर

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
श्री प्रहलदसिंह	सरपंच	प्रहलदसिंह
श्री गोबुलसिंह	वार्ड पंच	
श्रीमती लमछेंबर	—	
श्रीमती मानाबाई	—	
श्री बालूसिंह	—	
श्री मदनलाल	—	मदनलाल
श्रीमती सीताबाई	—	सीताबाई
श्री लोकसिंह	—	लोकसिंह
श्री दरबारसिंह	—	
श्रीमती तेजाबाई	—	तेजाबाई

05. बैठक की कार्यवाही का विवरण :- आज दिनांक 22/07/2024 को ग्राम पंचायत डोही की साधारण सभा की बैठक में उपरोक्त सदस्यों द्वारा वांगविका गंगा, लखेड़ा बिल्डो के अनुसार नया करने के उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किए गए,

प्रस्ताव संख्या 01. :-

सबे उपम इशकन की गई तत्पश्चात कोचम के समक्ष गलमिटिंग की कार्यवाही पंकर सुनाई गई बाद भयलोकन के सर्वसम्मान से सम्पुष्टी की गई,

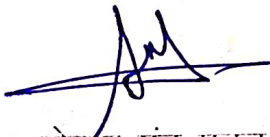
प्रस्ताव संख्या 02. :-

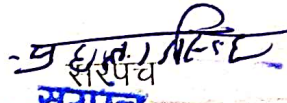
आज दिनांक को माननीय विभागा अधिकारी कार्यालय से डा. पं. पं. पं. निमिनि। 2024-25/40-मा। दिनांक 19-07-2024 व कार्यालय सहायक अभियंता सां. नि. उपपक्ष का के पर कपांक 132 दिनांक 18/07/2024 के द्वारा ग्राम पंचायत डोही सम्पुष्टी

कार्यालय ग्राम पंचायत डोडी
पंचायत समिति डग जिला झालावाड (राज.)

दिनांक 22/07/2024 को ग्राम स्तरीय वनाधिकारी समिति ...डोडी... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार को कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा न०	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वंछित भूमि
1	बनीखेडी	383	डोडी	0.125 हैक्टर
2	बनीखेडी	364	डोडी	0.030 हैक्टर
3	बनीखेडी	363	डोडी	0.085 हैक्टर
4	बनीखेडी	383	डोडी	0.280 हैक्टर


ग्राम सचिव एवं प्रदत्त सचिव
ग्राम पंचायत डोडी
पंचायत समिति डग


सरपंच
ग्राम पंचायत डोडी
पंचायत समिति डग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2014 / झालावाड़ रोडस / एफसीए / प्रमुवसं /

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

दिनांक

विषय:— Constrution of A/R to Banikhedi. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)
संदर्भ:—आपका पत्रांक 3912 दिनांक 13.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अनुपालना का परीक्षण किये जाने के उपरांत भी निम्नानुसार सूचना दिया जाना अपेक्षित है:—

1. अनुपालना में जमा / समायोजन राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है।
2. अनुपालना में वनाधिकार प्रमाण-पत्र मय संलग्नक संलग्न नहीं है।

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

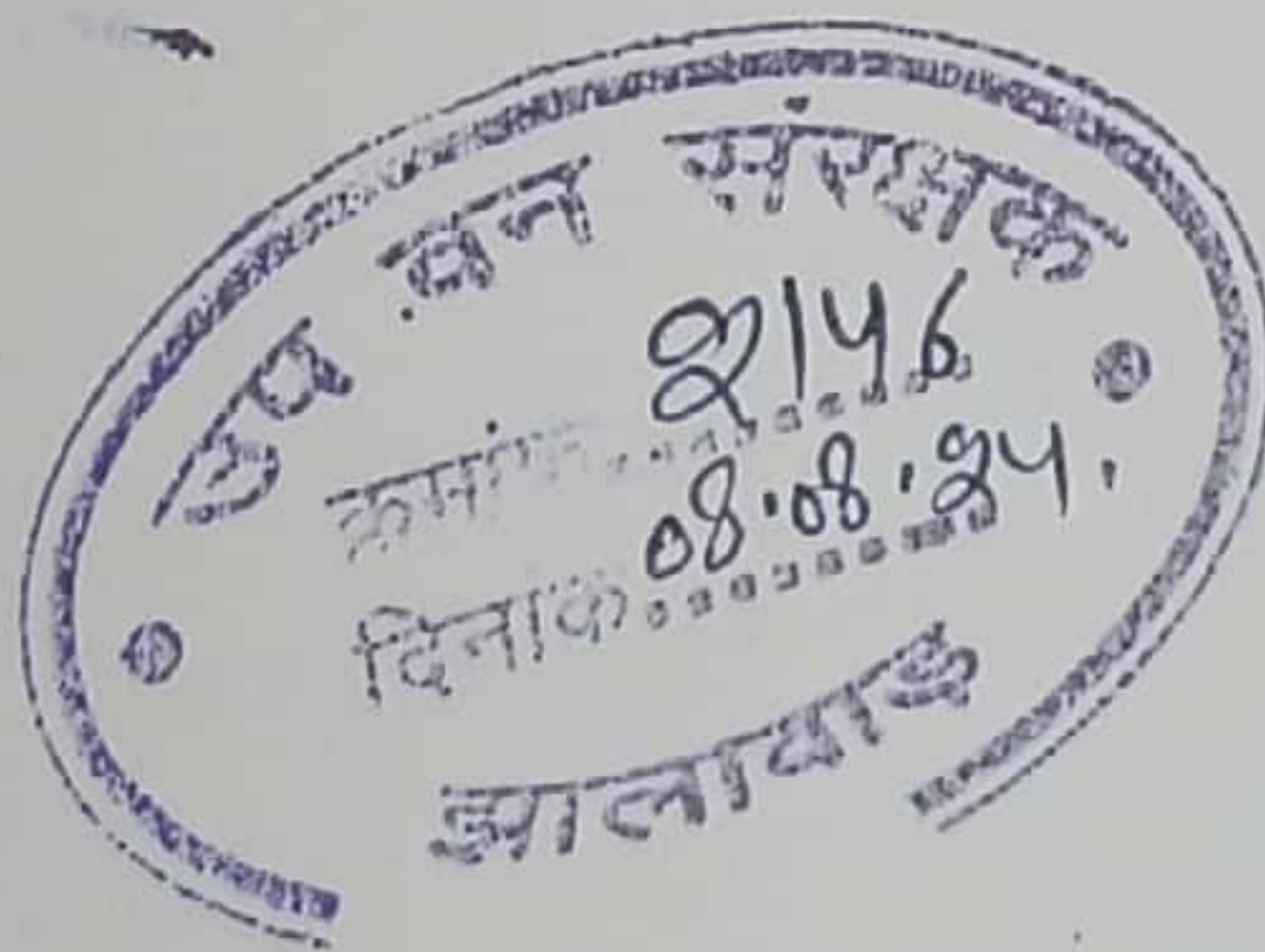
दिनांक 16/7/24

क्रमांक: एफ. 14()2014 / झालावाड़ रोडस / एफसीए / प्रमुवसं / 1515-16

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चौमहला।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर



FCA
07-8-24

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 11224
निमित्त :-

दिनांक: 14.8.24.

अधिशायी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड चौमहला

विषय :-Construction of A/R to Banikhedi Proposal no. FP/RJ /ROAD/7558 /2014

प्रसंग:- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए) अरण्य भवन, जयपुर का पत्रांक 1915-16
दिनांक 16.07.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (50) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्रदान की गई थी। आप द्वारा प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित की है, जिसे उच्च कार्यालय को अग्रेषित किये जाने उपरान्त उच्च कार्यालय द्वारा निम्नानुसार सूचना चाही गई है।

1. अनुपालना रिपोर्ट में जमा/समायोजन राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है।
2. अनुपालना में वन अधिकार प्रमाण पत्र मय संलग्नक संलग्न नहीं है।

अतः पत्र देकर लेख है उक्त सूचना/प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 14.8.24.

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 11225
प्रतिलिपि संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशंका की जाती है।

क्र० स०	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	खसरा नं०	डायवर्जन के लिए वांछित भूमि	किस्म
1	सम्पर्क सडक नयागांव भानपुरा	खेडला	असनावर	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
2	सम्पर्क सडक बडौदिया से जटानरी	बडौदिया	असनावर	497,529,530,528 , 155,99,98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
3	सम्पर्क सडक रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
4	सम्पर्क सडक बानीखेडी	डोडी	गंगधार	383, 364, 363, 383	5200 वर्गमीटर = 0.52 हैक्टेयर	गे.मु.सडक खातेदार PWD
				Total	26640 वर्गमीटर = 2.664 हैक्टेयर	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (गाडा)
जिला परिषद, झालावाड

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan)

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4196-98

Date :-
22-08-24

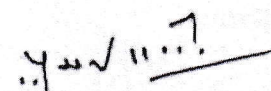
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.52 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer PWD Divison Chaumahla in Jhalawar District for Construction of Approach road to Bani kheri falls within jurisdiction of Gram Panchayat Dodi Village in Bani Kheri in Dag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.52 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Right Committee/s Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The Proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Group and Pre agricultural communities.

End. As above

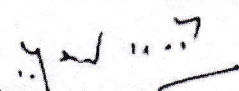

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4196-98

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwarfor N/A

Copy to the Executive engineer PWD Div. Chaumahla N/A

Date :-
22-08-24


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड / एफसीए / प्रमुखसं / 7195 दिनांक 18.08.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.08.2023 को 11:00 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/Road/7609/2014) एप्रोच रोड सांवल्दा की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त होने की दशा में उसमें जमा राशि को अन्य प्रस्तावों में समायोजित करने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री चंतन कुमार, उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफसीए।
4. श्री मनमोहन सिंघल, अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. श्री खेमराज, अधिशायी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़।

उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशायी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ द्वारा प्रेषित वन भूमि प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव एप्रोच रोड सांवल्दा (FP/RJ/Road/7609/2014) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जारी की गई। आवेदक अधिशायी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ के निवेदन पर प्रस्तावित सड़क आवश्यक नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में यूजर एंजेंसी द्वारा जमा की गयी राशि 12310000+387639 = 12697639 जमा की गयी है जिसका समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशायी अभियंता अकलेरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी आई.डी. से कुल 7 प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जो निम्नानुसार हैं:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	category	area applied (ha)	submitted date	Status
1	FP/RJ/Road/7478/2014	A/R to Kishorpura Bardiya	Road	0.56	16.10.2014	Pending with UA
2	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	Road	0.95	16.10.2014	In principle
3	FP/RJ/Road/7609/2014	A/R to Sanwalda	Road	0.995	29.10.2014	cancelled
4	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	Road	0.994	29.10.2014	In principle
5	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	Road	0.2	29.10.2014	In principle
6	FP/RJ/Road/13599/2015	Mohanpura to Ganeshpura lodhan	Road	0.984	30.06.2015	Approved
7	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	Road	0.936	15.04.2015	In principle

आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा जारी मांग पत्रों के अनुसार अपने अन्य विचाराधीन प्रस्तावों में निम्नानुसार राशि समायोजित करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	2225688.00	2225688.00
2	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	3174304.00	3174304.00
3	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	1764576.00	1764576.00
4	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	1709586.00	929810.00
		Total	8874154.00	8094378.00

क0सं0 4 पर अंकित प्रकरण Road from Beenaganj to Balbantpura में राशि 779776 लाख पृथक से जमा करायी जावेगी। इस प्रकार कुल 12697639.00 में से 8094378.00 का समायोजन किया जावेगा। अवशेष राशि 4603261 का समायोजन झालावाड़ जिले के अन्य प्रस्तावों में निम्नानुसार करने हेतु आग्रह किया एवं कोई अनापत्ति नहीं होने की वचनवद्धता भी प्रस्तुत की गयी।

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/30449/2019	Taraj to tara Devi	1810849.00	1810849.00
2	FP/RJ/Road/7558/2014	A/R Bankheri	2792412.00	2792412.00
		Total	4603261.00	4603261.00

उक्त प्रकरणों में क0सं 1 पर राशि 849.00 एवं क0सं0 2 पर राशि 412.00 पृथक से जमा करायी जावेगी। उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मांग पत्र वर्तमान श्रमिक दरों के आधार पर एवं एन.पी.वी. की दरों में हुये परिवर्तन के मद्देनजर जारी किये गये हैं।

सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14()2014/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुखसं/ 7196-7201 दिनांक 15-08-2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षापी अभियंता, खण्ड अकलेरा/चौमहला/खानपुर झालावाड़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़



Tele-07432-232230 fax No 07432-231131, E-Mail. ID dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफ.सी.ए./उवसं/2025-26/ 10366
निमित्त :-

दिनांक :- 18.09.2025

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Constrution of A/R to Banikhedi. (Proposal Number.
FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रसंग :- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर के पत्रांक 1915-16
दिनांक 16.07.2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त प्रसंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि उच्च कार्यालय द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना संलग्न प्रेषित है:-

1. इस कार्यालय द्वारा यूजर एजेन्सी को कुल देय राशि 2792412/- रुपये का संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था। जिसमे उक्त प्रकरण की राशि रु. 2792000/- एप्रोच रोड सांवल्दा में जमा राशि के बदले समायोजित कर लिए जाने हेतु लिखा गया था। समायोजन से शेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रु. 412/- केम्पा अकाउंट मे चालान द्वारा इस कार्यालय के बिल वाउचर सं० 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दी गयी थी। जिसकी पालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी कार्यालय के पत्रांक 424 दिनांक 09.11.2023 को इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी थी। जिसकी कार्यवाही में नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को म्यूटिशन डिटेल सत्यापित हो गयी थी।
2. वन अधिकार प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे है

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक

झालावाड़

दिनांक :- 18.09.2025.

क्रमांक एफ ()एफ.सी.ए./उवसं/2025-26/ 10367
प्रतिलिपि :-

1. उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर के पत्रांक 1915-16 दिनांक 16.07.2024 के क्रम में।

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424
श्रीमान् उपवन संरक्षक
झालावाड

दिनांक 9.11.2023

विषय :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड

प्रसंग :- आपका पत्रांक एफ.() सर्वे/उवस/2023/10066 दिनांक 09.09.2023 के कम में।

प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/7558/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित विषयाकित प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान स्वीकृति तहत धारा-2 मे कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड मे 0.52 हैक्ट. हेतु वनभूमि व प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार स्पष्ट पालना रिपोर्ट मे पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3177 दिनांक 25.09.2017 एवं 79 दिनांक 29.05.2023 एवं 205 दिनांक 21.08.2023 द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी थी। पुनः बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नही होगा।
2	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।
3	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।	हाँ जी प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नही किया जावेगा।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।	हाँ जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस पास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।

प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों की समाहित करते हुए यथा संभव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हाँ जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गयी है।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/207-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) द्वारा की राशि जमा की जावेगी।	अभिकरण द्वारा धन राशि रु. 2792000/- रुपये सम्पर्क सड़क सावल्दा (स्टेट प्लान 5054) की जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निरस्त की गई को जमा राशि रुपये 12697639/- में समायोजन की अभिशंषा की जाती है। प्रति संलग्न है। एवं शेष राशि रु. 412/- का चालान इस खण्ड कार्यालय के बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है।
10 उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी राशि रु. 57.33 लाख जमा करवा गयी है है जिसमें CA की राशि रु. 54.07 लाख सम्मिलित है।
11 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी	हाँ जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ सी ए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग जायेगी। जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी। इस सम्बन्ध में प्रमाण संलग्न कर दिया है।
13 अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	अभिकरण द्वारा धन राशि रु. 2792000/- रुपये सम्पर्क सड़क सावल्दा (स्टेट प्लान 5054) की जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार

-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पोधारोपण निधि बंधक तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाया कर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति जमा की गई धन राशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है)	द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निरस्त की गई को जमा राशि रुपये 12697639/- में समायोजन की अभिशंषा की जाती है। प्रति संलग्न है। एवं शेष राशि रु. 412/- का चालान इस खण्ड कार्यालय के बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है।
नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफ.सी दिनांक 27.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 करे पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेज में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	जी हों उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दी गई है छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुसार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छाया प्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

क्रमांक 424

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त झालवाड
3. सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड डग

(गजानन्द मीणा)

अधिशायी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9/11/2023

(गजानन्द मीणा)

अधिशायी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड चौमहला

पर्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

424

दिनांक 9.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण
भाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


(गजानन्द मीना)

अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9.11.23

क्रमांक 424

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक ५२५

दिनांक १०.११.२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ३ की अनुपालना में उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नहीं किया जावेगा।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

नं. 424

दिनांक १०.११.२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक ५२५

दिनांक १०.११.२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ५ की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक ११/११/२३

पृष्ठ ५२५

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक ११.११.२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।



(गजानन्द मीना)

अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक 9.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

५२५

दिनांक १०.११.२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ९ की अनुपालना में
योक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के
अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक
05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित
राशि जमा की जायेगी।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9.11.23

424

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम
तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण
द्वारा निम्नानुसार जमा की जावेगी।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक ९.११.२३

क ५२५

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. १५ की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किये जाने पर आपत्ती नहीं है।


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

पर्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

424

दिनांक 9.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में
मेक्ता अधिकरण द्वारा माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की
लना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा
न्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करा दी गयी है
जसकी छाया प्रति संलग्न है।



(गजानन्द मीना)

अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

anka's entry will help fight fascist forces'

NETWORK

ka Gandhi jobs will make it
ations i.e. upto 1

019 (Friday).
(Manager Administration)

was addressing an election rally for the Ramgarh assembly constituency, where a bypoll is due on January 28. Gehlot ad-

BJP for questioning the Congress' contribution to the development of the country. Attacking the BJP, he said, "Primo Mi-

He asked: He said the
BIP's tall claims of indifference
to have been shaken with the
Congress win in the assembly.

राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर, दिनांक: 18.03.2015

0) 8/2015
A. HOFF (HOFF)
STI

Construction of A/R to Banikheri in Distt. Jhalawar.
प्रमाण संख्या EP/BJ/ROAD/7558/2014

[illegible]

प्रस्तावित वन धुंध का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
प्रस्तावित वन धुंध का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

रक्षा नाग परियोजन के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र जियो एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की शक्ति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं नुकसान भी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

प्रजाति क्षेत्र में टेपिट पेड़ों को घन विभाग की बिना पूर्वावधि के नहीं काटा जावे।
इस क्षेत्र में टेपिट पेड़ परिरक्षित होने पर घन विभाग के होंगे।

प्रजापति शिव की आस-पास में वनस्पतिलेखन (Flora-Fauna) का शात होना
 पृथ्वी एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संतुलित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर
 एजेन्सी की होगी।

प्रत्येक आधिकरण ध्वज पर तीन विभागों द्वारा सूची से 10 मूक्षों का पातन होने पर 100 मूक्षों तथा 10 से अधिक मूक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले मूक्षों का 10 गुण संख्या में मूक्षों का मूक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव काला जायेगा। इस हेतु प्रत्येक आधिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथा संभव राशि जमा की जायेगी।

इसका अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर सशोधित भूक्षेत्र एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को मन्दित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।

1. प्रस्ताव अधिकरण द्वारा मानवीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 2020/95 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-37000-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुद्दा (12 पो.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी।

१२. स्वच्छ मनुष्यों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियों प्रति पूर्ण
एक-दोसा विधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ सेवा संध्या-CAF
Rajasthan: SB01025225 कागजोपयोग बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11
पूरा हो.ओ. फॉर्मलेक्स फेज-1। सीधी रकम नई दिल्ली-11003 में जमा कराया
रखें।

11. प्रोक्ता अभिरक्षण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करी कि सक्षम स्तर पर एच.एन.टी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता के हितों के लिये जमा की जाएगी।

12. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए—
 (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा आयोजित योजना उपबन्धन संरक्षण द्वारा स्वयंसेवक कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न करने के लिए एक कार्यकारी एफ ए के कार्यालय को प्रेरित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अधिकारण के लिए आवश्यक अन्य राशि उपलब्ध करायेगी।
 (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद (नियम) 202/1995 के

13. अतिरिक्त न्याय माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिठोरान (सिविल) 2021/1995 के आदेश पर, संख्या 56 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-ए.एस.सी. दिनांक 05.02.2009 के संलग्न विषये गये आदेशानुसार रा्ट वरतमान मूल्य (एन.पी.वी.) निर्धारण के लिए प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के

एक दूसरी सही निर्धारण प्रक्रिया दी जायेगी। प्रबंधन तथा निष्पक्षता का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल पर
शर्द निष्काप क्रायोरोशन रोक, भारत सरकार की 11-11003 में जमा करने के
कोई भी बाध्यता कम फंड-1 लाई रोड, नई दिल्ली-11003 में जमा करने के
कोई भी बाध्यता कम फंड-1 लाई रोड, नई दिल्ली-11003 में जमा करने के

इसके ही जमा राशि को पावती बं छिया प्रति, जे अनुयातना आख्या (जिस
इच्छा के छिया प्रति सहित सहाई क स्विकृति की अनुयातना आख्या (जिस
के माँ पुन राशि का मदवार निशर अ अधी एन.पी.वी. शक्ति प्रति मुधारण त
अ के जमा राशि का पूर्ण मदवा विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जा

4. संघर्षकारी (यन सारक्षक) इस प्रस्ताव को स्वीकृति के अगले माह की 5 तारी को संघर्षकारी के माध्यम से संसदीय समिति को प्रेषित करें।

13. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन प
कार्यालय, भारत सरकार द्वारा किया जा केगा।

निम्नानुसार दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पास्तवा प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति की पूंजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी वाले प्रकाशित करने एवं प्रकाशित होने वाले एक-एक समानांतर पत्र में अन्तर्गत प्रकाशित कराने एवं प्रकाशित करने के राजस्व के

प्रतीक की प्रतीति प्राप्त के 30 दिनों के अन्दर दस्तावेज कानून सुनिश्चित कर
होना चाहिए। प्रतीक की प्रतीति प्राप्त के 30 दिनों के अन्दर दस्तावेज कानून सुनिश्चित कर

आधिनियम १९८० के तहत विधिवत स्वीकृत जायेगा।
अपराध को दण्डनीय बनाने का हस्ताक्षर भी कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृत होने से पूर्व नहीं की जायेगी।

भवदीय
[Signature]

(श्री.एन. रत्नागामी)
हासन अधिव
24. Secretary to Government
Forest Department

12/PRC/31/2019
Forest Department,
Dist. Secretariat, Jalpa

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

The Times of India, Jaipur, Saturday, January 26, 2019

2.1.18 had on 26.07.2019

Verified
 श्री. वि. खण्ड चौधरी
 कोड नं 103022

RUI

CREDIT | D

#AskF

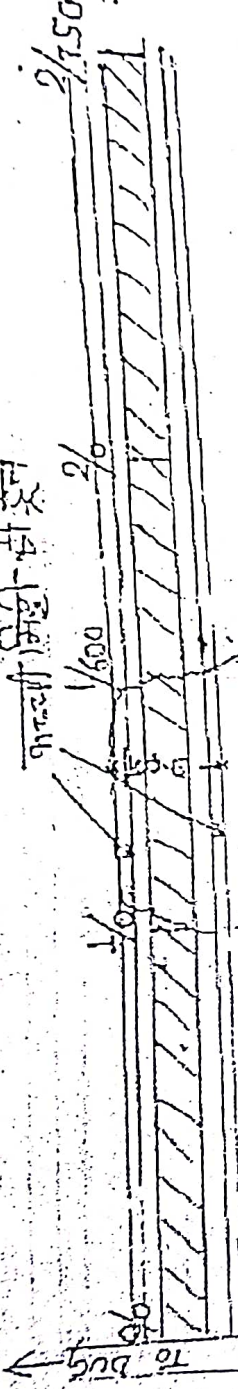
For details, visit runpay.co.in | Follow us on:    

मर - 15-4/7/73

का नाम :-

समय-सक जानी रेवडी

गान्धी मिडि-डी रेल



आम. बानी रेवडी

(1) सड़क से आने वाली

जंगलान भूमि क्षेत्र $\frac{1}{600}$ से $\frac{1}{600}$ = 600मी x 3.0मी.

क्षेत्रफल = $600.0 \times 9.0 = 5400$ वर्ग मी.
= 0.54 हेक्टेयर

(2) रसायनिक को कोट होने
वाले मैदान की संख्या = 10

14.7.73

महामह. वि. प्रताप

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Nov/2023

Department Name : Public Works Department

OfficeID : 9980

Reference No : 3806039

Wam Reference No : #1/1 of 834143

Division Code : 104

Bill No : 48726180

Demand No : 51

DDO Code : 103022

Object Head : 74

Budget Head : 5054-03-789-03-00/SF/V

NA : 0.00

Contingency Head :

Treasury/Sub Treasury Officer GANGDHAR

Order to pay ₹ 412 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Divisional Officer

I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Ser



Digitally signed by GAJANAND MEENA
Date: 2023.11.02 11:21:24 +05:30
Reason: GAJANAND MEENA

n/Digital ESign of DDO

9772250555

Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
RAJASTHAN CAMPA BENGALURA 9772250555	UNION BANK OF INDIA 150856175580108 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	465.00 412.00	3806039	2059-80-001-04-01 33.00 2059-80-052-04-01 8.00 3054-03-337-01-03 12.00

Gross Amount Rs. 465.00

B.T.Amount: Rs. 53.00

Net Amount: Rs. 412.00

Amount In Words : FOUR HUNDRED TWELVE Only

Sign Of DDO with



Digitally signed by GAJANAND MEENA
Date: 2023.11.02 11:21:33 +05:30
Reason: GAJANAND MEENA

n/Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Treasury Voucher

Date :

No:

Pay ₹ : 465.00

(In Words) : FOUR HUNDRED SIXTY FIVE ONLY

B.T. Heads : 53.00

Total : 53.00Only

(In Cash) ₹ : 412.00

(In Words) : FOUR HUNDRED TWELVE ONLY

Gaz.Officer

Auditor

AAO-I/II

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

Auditor

Supdt

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
SNW Courtsey National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:5054MDR SC

Forward Time:
Print Date & Time:02/11/2023 11:19 AM

Government of Rajasthan

See Chap. XIV, paras 440, 446 and 460

Public Works Department Buildings & Road Branch

HAND RECEIPT

Cash Book Voucher No.

Rajasthan Campa

(1) Pay

Passed for Rs. 412/-

(Rs) Four hundred twelve only

(2) Paid by me P.D. +

अधिशायी अमियन्ता
सा नि. वि. खण्ड चौमहला
कोड नं 103022

Rs. 412/-

Received from XEN PWD Div. Chaurmahle
(Rs) Four hundred twelve only

Name of Work X for which payment is made
A.R. to Bankheri F.P. (RT) Road Chargeable to
of Pay bill 7552 (2014) Voucher No.

-Witness

Signature

The officer authorizing payment should initial and date the order after seeing the cheque or cash as the case may be (1)

The person actually making the payment should initial and date payment certificate. In the case of works the accounts of which are dept. by sub-heads the amount on each sub-head should be specified by the disbursing officer.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Form RPWA 28

Public Works Department, Jalpur

PayManager Ref. Id(s): 3806039

Division Code: 9980

No. & Date:
Ref No.: 88, Dated: 01/11/2023
Division Name: X.En. PWD Div Chomelah

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

to be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Tender for widening and strengthening of Susner suwasra road (Upto MP border) Distt Jhalawar

Vendor Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/BillNo: Dated: 31/10/2023

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856175580108

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 412
(Words): Rupees Four Hundreds Twelve Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-03-789-03-00-74-V-P	412	WorkId: 13065

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3806039	5054-03-789-03-00-74-V-P		412	WorkId: 13065
	Payment Through Treasury			
	5054-03-789-03-00-74-V-P	412		53 Prorata WorkId: 13065
	2059-80-001-04-01-98-V-P	33		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	8		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	12		Prorata

Net Amount Payable In Figures: 412

Net Amount Payable In Words: Rupees Four Hundreds Twelve Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

खण्डीय लेखाकार

स.वि. खण्ड चौमहला

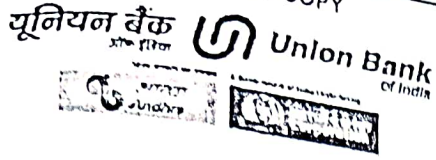
Courtesy: <https://www.rajasthan.gov.in> (Printed on 11/11/2023 5:15:14 PM)

अधिशोषी अभियन्ता

स.वि. खण्ड चौमहला

21/ AM

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-10-2023

Agency Name.	PWD
Application No.	6175580108
MoEF/SG File No.	1(50)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office PWD Division chaumahla tehsil gangdhar district Jhalawar rajasthan Jhalawar
Amount(in Rs)	412/-

Amount in Words : Four Hundred and Twelve Rupees Only

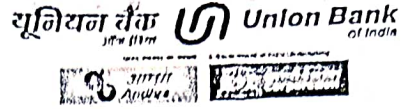
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856175580108 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-10-2023

Agency Name.	PWD
Application No.	6175580108
MoEF/SG File No.	1(50)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office PWD Division chaumahla tehsil gangdhar district Jhalawar rajasthan Jhalawar
Amount(In Rs)	412/-

Amount In Words : Four Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856175580108 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs. 412/-

(Rs) four hundred twelve only

अधिशायी अभियन्ता
सा नि. वि. खण्ड चौगहला
क्र.सं. 100000